"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 29, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 29, 1933)

क्रमांक-14429/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द "सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ राजस्व जिलों" के स्थान पर, शब्द "सरगुजा, जशपुर तथा कोरिया राजस्व जिलों" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर.	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र."

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम का क्रियान्वयन.

3. समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने के पूर्व सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा में प्रभावी थे, वे बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया है. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (एफ) के अधीन, ऐसे महाविद्यालय जो तत्कालीन गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध थे, गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध किये गये हैं.

भारत सरकार.मानव संसाधन विभाग का मत यह है कि गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर को स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा इसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए. अत: बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले के महाविद्यालयों को नये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010), जिसके द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सरगुजा, जशपुर तथा कोरिया राजस्व जिलों के साथ बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ राजस्व जिलों को भी सम्मिलित किया गया था, में संशोधन आवश्यक होगा. इस संशोधन के आधार पर गुरू घासीदास (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध 121 महाविद्यालयों को नये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जा सकेगा क्योंकि बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ राजस्व जिलों के महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर से सम्बद्ध किये जाने की स्थिति में इन जिलों के विद्यार्थियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. अत: छात्रों के हित में बिलासपुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करना आवश्यक है.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची (संशोधित) के भाग-दो के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) की प्रविष्टि में विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अंकित हैं. इस कारण से प्रस्तावित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को निगमित करने हेतु उक्त अधिनियम के कॉलम (4) में संशोधन भी आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 13-12-2011

हेमचंद यादव,
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 (2) में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष रुपये 1,50,00,000 (एक करोड़, पचास लाख रुपये) का आवर्ती वित्तीय भार आएगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के "भाग-दो (पुनरीक्षित)" का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

भाग—दो (पुनरीक्षित)
[धारा 4 (सत्रह) देखिये]

द्वितीय अनुसूची—

स. क्र. (1)	विश्वविद्यालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (4)
1.	बस्तर विश्वविद्यालय	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.
2.	सरगुजा विश्वविद्यालय	अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.